

05.10.2023:—पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। मूल वाद पत्र में राजीनामा हो गया। वादी वकील ने फ़र्द अहकाम पर NO PREES का अंकन किया। मूल वाद पत्र में राजीनामा होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र राजीनामा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

संत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

